

२५/३/२२

पत्रावनी प्रचलित। वकील काठी शपथित।
 शर्ची बाप प्रचलित प्राब प्रा दिनांक-२५/३/२२
 को इत मायपु का पेसु किया कि काठी इत
 प्रकाश में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता
 है। तथा काठ विज्ञा करने का निवेदन किया।
 उक्त: शर्ची काठी के प्राब प्रा के अर्थात्
 पर काठ-काठी इती तल पर खातिज किया
 जाता है पत्रावनी निपकाउहा। दायिलि दस्त
 होकर नम्बर ले कर हो।

(प्रियंका तलानिया)
 उपखण्ड अधिकारी
 अनुपगढ

